



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2019/माघ 4, 1940

No. 43]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2019/MAGHA 4, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 44(अ).—गैस सिलेंडर नियम, 2016 का प्रारूप, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की अपेक्षानुसार, कतिपय नियमों में और संशोधन करने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1109(अ), तारीख 13 नवम्बर 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख 14 नवम्बर 2018, में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस राजपत्र की, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 14 नवंबर 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के विषय में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैस सिलेंडर नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 में, नियम 48 के उप-नियम-3 के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा,—
- “(3)(क) पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन प्रारूप XIV में अनुज्ञप्त सर्विस स्टेशन के परिसर के भाग के रूप में प्ररूप 'छ' में अनुज्ञप्ति के लिए जिला प्राधिकारी से उप-नियम (2) के अधीन “अनापत्ति प्रमाण पत्र” की अपेक्षा लागू नहीं होगी।”

[फा. सं. 3(2)/2018-विस्फो]

शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1081(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2016 में मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 189(अ), तारीख 27 फरवरी, 2018 और सा.का.नि. 231(अ), तारीख 15 मार्च, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2019

G.S.R. 44(E).—WHEREAS the draft of certain rules further to amend the Gas Cylinder Rules, 2016 were published as required by Section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 14th November, 2018, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 1109(E), dated the 13th November, 2018 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 14th November, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from the public on the said draft rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gas Cylinder Rules, 2016, namely:—

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Gas Cylinders (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Gas Cylinders Rules, 2016, in rule 48, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
“(3A) The requirement of “No Objection Certificate” from District Authority under sub-rule (2) shall not be applicable for a licence in form “G” forming part of a service station licensed in form XIV under the Petroleum Rules, 2002.”.

[F. No. 3(2)/2018-Expl]

SHAILENDRA SINGH, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1081(E), dated the 22nd November, 2016 and subsequently amended *vide* G.S.R. 189(E), dated the 27th February, 2018 and G.S.R. 231(E), dated the 15th March, 2018.